>

Title: Need to take steps for providing irrigation facilities in areas with preponderance of forests particularly in East Vidarbha region in Maharashtra.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): देश में कृषि की वर्षाजल पर निर्भरता के कारण किसान खेती को घाटे का व्यवसाय समझ रहे हैं। स्वाधीनता के 63 वर्ष होने के बाद भी हम बारहमासी सिंचाई की सुविधा कर पाने में असफल साबित हो रहे हैं तो दूसरी ओर वनों के बहुलता वाले क्षेत्र में वन संरक्षण कानून 1980 के कारण सिंचाई परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटका है। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में अनेक बारहमासी नदियां होने के बाद भी उस क्षेत्र के किसानों को वर्षाजल पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कृषि में उत्पादकता कम हो रही है। इसका असर किसानों की आजीविका पर भी पड़ा है। राज्य सरकार वनभूमि क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निबल वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) केन्द्र सरकार को देने की अनिवार्यता के कारण वनक्षेत्र बहुलता वाले क्षेत्रों के सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में उपेक्षा बरत रही है। इसका भी इस क्षेत्र के सिंचाई विकास में व्यवधान निर्माण हो रहा है। वनक्षेत्र बहुलता वाले क्षेत्र में उद्योग तथा अन्य व्यवसायों का अभाव होने की स्थिति में कृषि तथा वनोपज पर लोगों की निर्भरता को देखते हुए इस क्षेत्र में कृषि के विकास को अनन्य महत्व देना आवश्यक है। आज वन बहुल क्षेत्र में व्याप्त कुपोषण, भुखमरी, किसान आत्महत्या, नक्सल प्रभाव को देखते हुए वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाकर उनका जीवन समृद्ध कराने के लिए कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करना और कृषि विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा पर्यावरण स्वीकृति के लंबित मामलों को तत्काल निपटाया जाना आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार वनबहुल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए तत्काल कदम उठाए।